न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :– राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

दायर दिनांक: 20.08.2024

प्रकरण संख्या: 115/24
जीसीएमएस नं. 2024/298

उनवान

1 वीरवती पत्नि स्व. मुरारी 2 बनाजी जातियान जाटव निवासी गढीसाद तहसील भुसावर 3 बादशाह पुत्रान स्व. मुरारी 4 जलदेई पुत्री स्व. मुरारी नाबालिगान जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता वीरवती पत्नि स्व. जातियान जाटव निवासी गढीसाद तहसील भुसावर जिला भरतपुर राज.।

——वादीगण

बनाम

1 कोका पत्नि परभाती 2 दर्याब 3 रमेश 4 सुरेश 5 खेमसिंह पुत्रान परभाती जातियान जाटव निवासी गढीसाद तहसील भुसावर जिला भरतपुर 6 सुफेदी पुत्री परभाती पत्नि किस्तूरा 7 समन्तरा पुत्री परभाती पत्नि भरोसी जातियान जाटव निवासी सौंखर तहसील कठूमर जिला अलवर 8 बीना पुत्री परभाती पत्नि रामवीर जाति जाटव निवासी सैडोली तहसील नदबई जिला भरतपुर 9 पुष्पा पुत्री मुरारी पत्नि धमेन्द्र जाति जाटव निवासी भौंदू का पुरा तहसील हिण्डौन जिला करौली 10 सुमन पुत्री मुरारी पत्नि राजू जाति जाटव निवासी भाबर तहसील कठूमर जिला अलवर 11 राज. सरकार जरिये तहसीलदार, भुसावर जिला भरतपुर राज.।

——प्रतिवादीगण

दावा डिक्लेरेशन व हुक्म इम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर.टी.ए. 1955

अधिवक्ता :–
1 श्री पप्पूराम ——वादीगण

निर्णय दिनांक 29/05/2026

वादीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 154 रकवा 0.7000, 182 रकवा 0. 0700, 269 रकवा 0.0800, 332 रकवा 0.0200, 341 रकवा 0.0600, 347 रकवा 0.1400, 389 रकवा 0. 1000, 415 रकवा 0.1000, 573 रकवा 0.0800 किता 9 कुल रकवा 1.3500 हेक्टेयर के सम्पूर्ण भाग वाके ग्राम गढीसाद तहसील भुसावर व आराजी खसरा नम्बर 707 रकवा 0.4400 हेक्टेयर के 1/2 भाग व आराजी खसरा नम्बर 716 रकवा 0.6200 हेक्टेयर के सम्पूर्ण भाग एवं आराजी खसरा नम्बर 704 रकबा 0. 1900, 706 रकवा 0.4600 किता 2 कुल रकवा 0.6500 हेक्टेयर के 1/2 भाग वाके ग्राम रणधीरगढ तहसील भुसावर जिला भरतपुर मे स्थित है, जिसकी खातेदार राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादिनी संख्या एक के नाम दर्ज होती चली आ रही है। जिसमे वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 9 व 10 वाहिस्सा बराबर 1/9 हिस्सा के एवं प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत 8 वाहिस्सा बराबर 8/9 हिस्से के काविज काश्तकार एवं खातेदार है। तथा इसी प्रकार से मौके पर काविज रहकर शान्ति पूर्वक काश्त करते चले आ रहे है।

वर्णित आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत 10 की हिन्दू संयुक्त परिवार की पैत्रिक आराजी है, जो वादीगण व प्रतिवादीगण को उनके ससुर/पति/पिता/बाबा स्वर्गीय श्री परभाती पुत्र दीपा से बाई बर्थ विरासत मे प्राप्त हुई है। लेकिन प्रतिवादीगण ने राजस्व कर्मचारियो से मिलीभगत करते हुए वादग्रस्त आराजी की खातेदारी का इन्द्राज वांदीगण के पति / बाबा स्वर्गीय परभाती की मृत्यु होने के बाद विरासत के आधार पर प्रतिवादिनी संख्या एक के नाम न्यारानूर खातेदारी करा ली है। जबकि मौके पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 9 व 10 वाहिस्सा बराबर 1/9 हिस्से पर व प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत 8 वाहिस्सा बराबर 8/9 हिस्से पर काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन प्रतिवादीगण बहुत ही चतुर एवं चालाक किस्म के व्यक्ति है, जो प्रतिवादिनी संख्या एक के नाम खातेदारी के इन्द्राज का नाजायज

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०

फायदा उठाते हुए व आपस मे कौलूजन करते हुए वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 9 व 10 के हिस्से की आराजी से बेदखल कर महरूम करने के इरादे से आराजी को दीगर व्यक्तियो के लिए रहन, वय व मुन्तकिल करना चाहते है, व आये दिन वादीगण के कब्जे काश्त मे बाधा उत्पन्न करते रहते है। जबकि प्रतिवादीगण को पैत्रिक आराजी को रहन, वय व मुन्तकिल करने व वादीगण के कब्जे काश्त मे बाधा पहुँचाने का कोई भी कानूनी अधिकार प्राप्त नही होते है।

दिनाक 01.08.2024 को वादीगण ने अपने हिस्से की आराजी मे खातेदारी का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कराने के लिए कहा, तो प्रतिवादीगण ने धमकी दी कि हम तुम्हे एक इंच जमीन भी खातेदारी मे नही देगे, और हम तो आराजी को किसी दीगर व्यक्तियो के लिए रहन, वय व मुन्तकिल करके रहेगे, और तुम्हे अब आराजी पर किसी तरह से काश्त भी नही करने देगे। और तुम्हे आराजी से बेदखल कर महरूम कर देगे। अतः वादीगण अपने खातेदारी के अधिकारो की घोषणा करा पाने के अधिकारी है।

वादीगण द्वारा निवेदन किया गया है कि उक्त वर्णित आराजीयात में प्रतिवादिनी संख्या 1 के नाम हो रही खातेदारी के इन्द्राज को कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 9 व 10 वाहिस्सा बराबर 1/9 हिस्सा के एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 वाहिस्सा बराबर 8/9 हिस्से के खातेदार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड किया जावे।

हमने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक से कराई गई। बाद तामील प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। अतः प्रतिवादीगण के विरूद्ध कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लाई गई।

वादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र वीरवती एवं बनाजी द्वारा पेश किया गया। उनके बयान लेखबद्ध कराये गये।

वादीगण की ओर दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श–1 जमाबन्दी संवत 2075–78, प्रदर्श–2 जमाबन्दी संवत 2075–78, प्रदर्श–3 जमाबन्दी संवत 2075–78, प्रदर्श–4 जमाबन्दी संवत 2070–73, प्रदर्श–5 जमाबन्दी संवत 2046–49, प्रदर्श–6 जमाबन्दी संवत 2062–65, प्रदर्श–7 जमाबन्दी संवत 2064–67, प्रदर्श–8 जमाबन्दी संवत 2068–71, प्रदर्श–9 नकल मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श–10 नकल मिलान क्षेत्रफल पेश किये गये।

हमने बहस पर वादीगण अधिवक्ता को सुना गया। हमने बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का भली भांति अवलोकन किया गया। उक्त के आधार पर हम दावा वादीगण डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः दावा वादिनी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, भुसावर को आदेशित किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 154 रकवा 0.7000, 182 रकवा 0. 0700, 269 रकवा 0.0800, 332 रकवा 0.0200, 341 रकवा 0.0600, 347 रकवा 0.1400, 389 रकवा 0.1000, 415 रकवा 0.1000, 573 रकवा 0.0800 हेक्टेयर वाके ग्राम गढीसाद तहसील भुसावर व आराजी खसरा नम्बर 707 रकवा 0.4400 हेक्टेयर व आराजी खसरा नम्बर 716 रकवा 0.6200 हेक्टेयर एवं आराजी खसरा नम्बर 704 रकबा 0.1900, 706 रकवा 0.4600 हेक्टेयर वाके ग्राम रणधीरगढ तहसील भुसावर में प्रतिवादिनी संख्या 1 के नाम हो रही खातेदारी के इन्द्राज को कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 9 व 10 वाहिस्सा बराबर 1/9 हिस्सा के एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 वाहिस्सा बराबर 8/9 हिस्से के खातेदार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड किया जावे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29/05/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर) राज०

मूलवाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 नियम, 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :– राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

दायर दिनांक: 20.08.2024

प्रकरण संख्या: 115 / 24

जीसीएमएस नं. 2024 / 298

उनवान

1 वीरवती पत्नि स्व. मुरारी 2 बनाजी जातियान जाटव निवासी गढीसाद तहसील भुसावर 3 बादशाह पुत्रान स्व. मुरारी 4 जलदेई पुत्री स्व. मुरारी नाबालिगान जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता वीरवती पत्नि स्व. जातियान जाटव निवासी गढीसाद तहसील भुसावर जिला भरतपुर राज.। —वादीगण

बनाम

1 कोका पत्नि परभाती 2 दर्याब 3 रमेश 4 सुरेश 5 खैमसिंह पुत्रान परभाती जातियान जाटव निवासी गढीसाद तहसील भुसावर जिला भरतपुर 6 सुफेदी पुत्री परभाती पत्नि किस्तूरा 7 समन्तरा पुत्री परभाती पत्नि भरोसी जातियान जाटव निवासी सौंखर तहसील कठूमर जिला अलवर 8 बीना पुत्री परभाती पत्नि रामवीर जाति जाटव निवासी सैडोली तहसील नदबई जिला भरतपुर 9 पुष्पा पुत्री मुरारी पत्नि धमेन्द्र जाति जाटव निवासी भौंदू का पुरा तहसील हिण्डौन जिला करौली 10 सुमन पुत्री मुरारी पत्नि राजू जाति जाटव निवासी भाबर तहसील कठूमर जिला अलवर 11 राज. सरकार जरिये तहसीलदार, भुसावर जिला भरतपुर राज.।

—–प्रतिवादीगण

दावा डिक्लेरेशन व हुक्म इम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर.टी.ए. 1955

अधिवक्ता :–
1 श्री पप्पूराम —वादीगण

डिक्री दिनांक 29 / 05 / 2026

तहसीलदार, भुसावर को आदेशित किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 154 रकवा 0.7000, 182 रकवा 0. 0700, 269 रकवा 0.0800, 332 रकवा 0.0200, 341 रकवा 0.0600, 347 रकवा 0.1400, 389 रकवा 0.1000, 415 रकवा 0.1000, 573 रकवा 0.0800 हेक्टेयर वाके ग्राम गढीसाद तहसील भुसावर व आराजी खसरा नम्बर 707 रकवा 0.4400 हेक्टेयर व आराजी खसरा नम्बर 716 रकवा 0.6200 हेक्टेयर एवं आराजी खसरा नम्बर 704 रकबा 0.1900, 706 रकवा 0.4600 हेक्टेयर वाके ग्राम रणधीरगढ तहसील भुसावर मे प्रतिवादिनी संख्या 1 के नाम हो रही खातेदारी के इन्द्राज को कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 9 व 10 वाहिस्सा बराबर 1/9 हिस्सा के एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 वाहिस्सा बराबर 8/9 हिस्से के खातेदार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड किया जावे।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)